

कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक ०२०-२५५३८०९५ E-Mail Id- agridhrt@gmail.com
पत्ताभुजल भवन जवळ -, शिवाजीनगर पुणे ४११००५-

कृआ-२०२३/राकृवियो-प्रथेअपी/नूतनीकरण/१७३२५/फलो-४
पुणे - ४११ ००५, दि. २४/०५/२०२३

वाचा :-


१. केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना - प्रति थेंब अधिक पिक (सुक्ष्म सिंचन) योजनेच्या कार्यात्मक मार्गदर्शक सुचना दि.०८/१०/२०२१
२. कृषि आयुक्तालयाने सन २०२३-२४ सुक्ष्म सिंचन उत्पादक नूतनीकरणासाठी निर्गमित केलेले सुचनापत्र क्रं ४४३६ दि.०७/०२/२०२३
३. कृषि आयुक्तालयाचे आदेश क्रमांक कृआआ/सुसियो / कंनोंनुक /भाग १/प्र क्रं ०६ /७६०/फलो-४, दि १८/१०/२०१९
४. कृषि आयुक्तालयाचे आदेश क्रमांक कृआआ/सुसियो / कंनोंनुक /भाग १/प्र क्रं ०६ /७९५/फलो-४, दि ७.११.२०१९

नूतनीकरण आदेश

प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना प्रति थेंब अधिक पिक (सुक्ष्म सिंचन) योजनेअंतर्गत सन २०१९-२० व २०२२-२३ मध्ये सुक्ष्म सिंचन साहित्याचा पुरवठा करण्यासाठी कॅप्टन पॉलीप्लास्ट लि. राजकोट (ठिबक व तुषार) या सुक्ष्म सिंचन उत्पादक कंपनीला संदर्भ क्रं ३ व ४ अन्वये नोंदणीस मान्यता देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे सर्वदृष्ट्या वैध असलेल्या व भारतीय मानक ब्युरोचे (BIS) वैध प्रमाणपत्र तसेच, जीएसटीएन व डीआयएन क्रमांक/भागीदारी करार धारण करणाऱ्या सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-२ नुसार सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी नूतनीकरणास व दर्शविलेल्या जिल्ह्यामध्ये सुक्ष्म सिंचनाची कामे करण्यास खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

१. सुक्ष्म सिंचन योजना अंमलबजावणीसाठी या आदेशान्वये ठिबक / तुषार सिंचन संच उत्पादक कंपन्यांच्या नूतनीकरणास देण्यात आलेली मान्यता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापुरती वैध राहिल.
२. या आदेशान्वये नूतनीकरणास मान्यता देण्यात आल्यानुसार परिशिष्ट-२ दर्शविलेल्या प्रत्येक घटकांच्या बीआयएस वैधतेची मुदत संपल्यानंतर ४५ दिवसात वैध बीआयएस प्रमाणपत्र कृषि आयुक्तालयास सादर करण्याची जबाबदारी संबंधीत कंपनीची राहिल. अशी कागदपत्रे वेळेत सादर न केल्यास त्या कंपनीचे नूतनीकरण आपोआप रद्द होईल.
३. नूतनीकरणाच्या वेळी नोंदणीकृत कंपन्यांनी सादर केलेल्या दरपत्रकातील दरापेक्षा जास्त दराने कोणत्याही घटकांची विक्री करता येणार नाही. तसेच सदरचे दरपत्रक कृषि आयुक्तालयाच्या आज्ञावलीवर नोंदणी नूतनीकरणास मान्यता दिलेल्या कंपन्यांनी भरणे आवश्यक आहे. नूतनीकृत कंपन्यांनी त्यांच्या दरपत्रकात त्या आर्थिक वर्षात वाढ किंवा घट केल्यास आज्ञावलीवर भरणे व कृषि आयुक्तालयास त्वरित कळविणे त्यांचेवर बंधनकारक राहिल.
४. नूतनीकरणास मान्यता देण्यात आलेल्या सुक्ष्म सिंचन संच उत्पादक कंपनीने उत्पादीत केलेल्या व वितरकांना पुरवठा केलेल्या सर्व घटकांचा घटकनिहाय अहवाल तिमाही संपताच पुढील माहिण्याच्या १० तारखेपर्यंत विहित प्रपत्र-५ (अ) व ५(ब) मध्ये सादर करणे आवश्यक राहिल.
५. केंद्र, राज्य शासन, कृषि आयुक्तालयस्तरावरून वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या सुचना, अटी व शर्ती सुक्ष्म सिंचन संच उत्पादक कंपन्या व त्यांच्या अधिकृत वितरकांवर बंधनकारक राहातील.

सोबत : परिशिष्ट २


(डॉ. के.पी.मोते)
संचालक फलोत्पादन
कृषि आयुक्तालय, पुणे-५

प्रति, कॅप्टन पॉलीप्लास्ट लि. राजकोट

प्रतिलिपी - यांना माहितीसाठी व पुढील प्रमाणे कार्यवाहीसाठी अग्रेषित.

- १) विभागीय कृषि सहसंचालक, सर्व
- २) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, (सर्व)

सन २०२३-२४ या वर्षासाठी नुतनीकरणास मान्यता देण्यात आलेल्या परिशिष्ट-२ मधिल सुक्ष्म सिंचन संच उत्पादकांचे जिल्हानिहाय अधिकृत विक्रेते / वितरकांची दि.०८.०८.२०२२ रोजी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनानुसार जिल्हास्तरावर संबधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी वितरक नोंदणीसाठी आवश्यक असलेले व कृषि आयुक्तालयाने विहित केलेले शुल्क रु.२७५०/- (अक्षरी रु.दोन हजार सातशे पन्नास फक्त) ग्रासप्रणालीद्वारे /चलनाद्वारे संबंधित लेखाशिर्षांतर्गत भरून घ्यावे. तसेच रु.१०,०००/- (अक्षरी रु.दहा हजार फक्त) रकमेची बँक गॅरंटी घेवून वितरकांची नोंदणी करावी. (ठिबक व तुषार या करीता शुल्क स्वतंत्र भरण्याची आवश्यकता नाही)

संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी व त्यांचे जिल्हातील सुक्ष्म सिंचन वितरक या दोघामधील कृषि आयुक्तालयाने विहित करुन दिलेल्या नमुन्यातील करारनामा जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी रु.१००/-च्या स्टॅम्प पेपरवर नोटराइज्ड करुन घ्यावा.

परिशिष्ट क्र.२

सन २०२३-२४ मध्ये नूतनीकरणास मान्यता देण्यात आलेल्या उत्पादकांची यादी
उत्पादकाचे नाव : कॅप्टन पॉलीप्लास्ट लि. राजकोट


ई मेल info@captainpolyplast.com

जीएसटी क्र. 24AAACC8608F1ZY

सूक्ष्म सिंचन घटक : ठिबक व तुषार सिंचन

| BIS Component | BIS NO | CML NO | मान्यता प्राप्त जिल्हे | |
|-------------------------------|--------------------|------------|------------------------|-----------|
| Laterals | IS 12786: 1989 | 7270367 | नाशिक | |
| Laterals | IS 12786: 1989 | 6300073096 | धुळे | |
| Emitter(Dripper) | IS 13487: 1992 | 3775276 | जळगाव | |
| Emitting Pipe(Inline) | IS 13488: 2008 | 7580079 | अहमदनगर | |
| Emitting Pipe(Inline) | IS 13488: 2008 | 6300073197 | सांगली | |
| Str. type filters(Scren/Disc) | IS 12785: 1994 | 2829773 | कोल्हापूर | |
| Str. type filters(Scren/Disc) | IS 12785: 1994 | 3006128 | औरंगाबाद | |
| Str. type filters(Scren/Disc) | IS 12785: 1994 | 7714781 | जालना | |
| Str. type filters(Scren/Disc) | IS 12785: 1994 | 7600095713 | बीड | |
| Str. type filters(Scren/Disc) | IS 12785: 1994 | 6600030305 | लातूर | |
| Venturi Injector | IS 14483 (Part 1) | 7800008015 | उस्मानाबाद | |
| Venturi Injector | IS 14483 (Part 1) | 7600098820 | नांदेड | |
| Venturi Injector | IS 14483 (Part 1) | 3178056 | परभणी | |
| Venturi Injector | IS 14483 (Part 1) | 8400104706 | हिंगोली | |
| Venturi Injector | IS 14483 (Part 1) | 4726571 | अमरावती | |
| Media Filter (Sand Filter) | IS 14606: 1998 | 2875174 | बुलढाणा | |
| Media Filter (Sand Filter) | IS 14606: 1998 | 8300145208 | अकोला | |
| Hydro cyclon Filter | IS 14743: 2000 | 3795989 | वाशिम | |
| Hydro cyclon Filter | IS 14743: 2000 | 3285158 | यवतमाळ | |
| Hydro cyclon Filter | IS 14743: 2000 | 2900854 | पुणे | |
| PVC Pipes | IS 4985 – 2000 | 6300070090 | नंदुरबार | |
| PVC Pipes | IS 4985 – 2000 | 3747877 | सातारा | |
| HDPE Pipes for Water Supply | IS 4984 : 1995 | 7246572 | सोलापूर | |
| HDPE Pipes for Water Supply | IS 4984 : 1995 | 6300080295 | वर्धा | |
| Rot.sprinkler Part I | IS 12232 (1996) | 8939410 | | |
| Rot.sprinkler Part I | IS 12232 (1996) | 8528587 | | |
| Rot.sprinkler Part I | IS 12232 (1996) | 3709364 | | |
| Rot.sprinkler Part I | IS 12232 (1996) | 8205260 | | |
| Rot.sprinkler Part I | IS 12232 (1996) | 8217873 | | |
| Rot.sprinkler Part I | IS 12232 (1996) | 7600102312 | | |
| HDPE Sprinkler pipes - | IS I4151 (part II) | 7285481 | | |
| HDPE Sprinkler pipes - | IS I4151 (part II) | 6300073504 | | |
| ---- | ---- | ---- | एकुण | २४ जिल्हे |

वैधता कालावधी : सन २०१९ -२० ते २०२३ - २४


संचालक
फलोत्पादन